भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2914**

12.12.2016 को उत्तर के लिए

**हवा में सूक्ष्म धूल कणों का उच्च स्तर**

**2914. श्री रिपुन बोराः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में वायु गुणवत्ता संबंधी मानकों के संबंध में विश्‍व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत स्तर की तुलना में सूक्ष्म धूल कणों का स्तर अत्‍यधिक उच्च है;

(ख) ऐसे प्रदूषण के प्रभाव से संबंधित अध्ययन प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर्यावरण संबंधी खतरे को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) और (ख) विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (डब्‍ल्‍यूएचओ) ने ''एम्बिएंट एयर पॉल्‍यूशन: ए ग्‍लोबल एसेसमेंट ऑफ एक्‍सपोज़र एंड बर्डन ऑफ डिज़ीज़'' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें परिवेशी वायु प्रदूषण प्रभाविता के नवीनतम वैश्विक आकलन की पद्धतियों और परिणामों का सारांश दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण, भारत में कुछ शहरों सहित विश्‍व में व्‍याप्‍त अनेक शहरों में अत्‍यधिक वायु प्रदूषण घटनाओं की बढ़ती संख्‍या के साथ एक उभरती चिंता का कारण बन गया है।

(ग) देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में, अन्‍य कदमों के साथ-साथ, ये शामिल हैं - राष्‍ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्‍ता मानक अधिसूचित करना; पर्यावरण संबंधी विनियमों/सांविधियों का निर्माण; परिवेशी वायु गुणवत्‍ता के आकलन के लिए निगरानी तंत्र की व्‍यवस्‍था; गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि), इथनोल मिश्रण जैसे स्‍वच्‍छतर/वैकल्पिक ईंधनों की शुरूआत; स्‍वच्‍छतर उत्‍पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना; राष्‍ट्रीय वायु गुणवत्‍ता सूचकांक का आरम्‍भ; वर्ष 2017 तक बीएस- IV का सार्वभौमिकरण; दिनांक 1 अप्रैल, 2020 तक बीएस-IV ईंधन मानकों की जगह सीधे बीएस-VI ईंधन मानक लागू करना; विभिन्‍न अपशिष्‍ट प्रबंधन नियमों में व्‍यापक संशोधन करना तथा निर्माण एवं विध्‍वंस अपशिष्‍ट प्रबंधन नियम अधिसूचित करना; पत्तियां, बायोमास, नगरीय ठोस अपशिष्‍ट जलाने पर रोक लगाना; सार्वजनिक परिवहन एवं मेट्रो नेटवर्क, ई-रिक्‍शा को बढ़ावा देना; कार पूलिंग, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र, लेन-अनुशासन, वाहन रखरखाव को बढ़ावा देना; दिल्‍ली सरकार और एनसीआर के अंदर के अन्‍य राज्‍यों की सरकारों के साथ अधिकारी और मंत्री स्‍तर की समन्‍वय बैठकों का नियमित आयोजन करना; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निदेश जारी करना; प्रमुख उद्योगों में ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरण संस्‍थापित कराना; 2000 सीसी से अधिक क्षमता के डीज़ल-चालित वाहनों पर पर्यावरण सुरक्षा प्रभार लगाना; और रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले पटाखों को फोड़ने पर प्रतिबंध लगाना इत्‍यादि।

**\*\*\*\***